

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं०:- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611/2215978
ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :- 02.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 11,344 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया एवं कटिहार रेलवे स्टेशन पर 35 किलोग्राम गाँजा जब्त करने के साथ ही मामले की प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम चम्पारण जिले में ₹3,00,000/- तथा मधेपुरा जिला के गम्हरिया थानान्तर्गत ₹9,500/- का नकली मुद्रा जब्त किया गया है।

पटना जिला के अथमलगोला में ₹10,00,000/- तथा हाथीदह में ₹3,00,000/-, गोपालगंज जिला में ₹28,85,470/-, वैशाली जिला में ₹2,40,000/-, बेगूसराय जिला में ₹3,79,200/-, अरवल जिला में ₹1,01,000/- एवं गया जिला में ₹1,50,193/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others) 12

Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others) 1

Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag) 4

Illegal Meeting/Speech etc. 1

Others 4

3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized 9

No. of cartridges seized 73

No. of Licensed Arms deposited 1890

No. of Licensed Arms Cancelled	880
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	7095
No. of non-bailable warrants executed	733
Fine collected in vehicle checking	Rs. 19,99,917
4. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-	
No. of prohibition cases registered	32
No. of raids conducted	130
Volume of illicit liquor seized during raids	6,494 litre
No. of persons arrested	57
Amount of fine imposed	Rs. 1,75,800
5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के दौरान प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कम-से-कम 4 मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र के रूप में चिन्हित कर वहाँ मतदाताओं के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अतिरिक्त साइनेज, छाया, पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। इसके अतिरिक्त सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधा यथा, पेयजल, रैम्प, शौचालय (पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग), बिजली (वैकल्पिक व्यवस्था के साथ) उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया है।	
6. पटना जिला के शास्त्रीनगर थानान्तर्गत श्री कुमार वेंकटेश नामक व्यक्ति के द्वारा समाजवादी पार्टी के बिहार अध्यक्ष, श्री रामचन्द्र सिंह यादव तथा मीडिया प्रभारी-सह-सचिव, श्री राजेश कुमार के विरुद्ध टेकारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए टिकट हेतु 10 लाख रुपये डौनेशन के रूप में लिये जाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।	
7. किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी को उनके द्वारा किये गये चुनावी घोषणा पत्र की प्रति भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को इसके निर्गत होने के पश्चात उपलब्ध कराया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2013 को S.L.P. (C) No. 21455 of 2008 में पारित आदेश के आलोक में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।	
1. उच्चतम न्यायालय ने 2008 (एस. सुब्रिमणियम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य) की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 21455 में दिनांक 05 जुलाई, 2013 को अपने निर्णय में यह	

निदेश दिया था कि भारत निर्वाचन आयोग सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के परामर्श से निर्वाचन घोषणापत्रों की विषय-वस्तु के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करे । निर्णय में उल्लिखित वे मार्गदर्शक सिद्धांत जो ऐसे दिशा-निर्देशों को बनाने में सहायक होंगे, नीचे दिए गए हैं :-

यद्यपि, विधि निश्चित रूप से स्पष्ट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अधीन निर्वाचन घोषणापत्र का 'भ्रष्ट प्रथा' के रूप में अर्थ नहीं लगाया जा सकता है, परंतु इस वास्तविकता से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी प्रकार के मुफ्त उपहारों का वितरण, निस्संदेह लोगों को प्रभावित करता है । बहुत हद तक, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों की जड़ें ही हिला देता है ।

निर्वाचन आयोग, निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले दलों तथा अभ्यर्थियों को एक समान अवसर सुनिश्चित कराने के प्रयोजनार्थ और यह जानने के लिए कि कहीं निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता विगत की भांति दूषित तो नहीं हो रही है, आदर्श आचार संहिता के अधीन अनुदेश जारी करता रहता है । संविधान का अनुच्छेद 324 उन शक्तियों का ऐसा स्रोत है, जिसके अधीन आयोग इन अनुदेशों को जारी करता है तथा जो आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को संचालित कराने का अधिदेश देता है ।

हम इस वास्तविकता से परिचित हैं कि सामान्यतः राजनैतिक दल अपना निर्वाचन घोषणापत्र निर्वाचन की तारीख की घोषणा से पहले जारी करते हैं । स्पष्ट कहा जाए तो, उस परिदृश्य में, भारत निर्वाचन आयोग के पास ऐसे किसी कार्य को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है जो निर्वाचनों की तारीख की घोषणा से पहले किया गया हो । हालांकि, निर्वाचन घोषणापत्र का सीधा संबंध निर्वाचन प्रक्रिया से होता है, अतः इस संबंध में अपवाद बनाया जा सकता है ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय से उपर्युक्त निदेश प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग ने इस मामले में परामर्श करने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की और इस मामले में उनके परस्पर-विरोधी विचारों को नोट कर लिया । विचार-विमर्श के दौरान, जबकि कुछ राजनैतिक दलों ने ऐसे दिशा-निर्देशों को जारी करने का समर्थन किया, वहीं कुछ लोगों का विचार था कि बेहतर लोकतांत्रिक राज्य-व्यवस्था में घोषणापत्रों में मतदाताओं को ऐसे प्रस्ताव देना तथा वायदे करना उनका अधिकार है । जबकि, आयोग सैद्धांतिक रूप से इस विचार से सहमत है कि घोषणापत्र तैयार करना राजनैतिक दलों का अधिकार है, परंतु स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन और सभी राष्ट्रीय दलों तथा अभ्यर्थियों को एक समान अवसर प्रदान करने की भावना को बनाए रखने में, कुछेक वायदों और प्रस्तावों के अवांछित प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता ।

3. संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ, संसद तथा राज्य विधान

मंडलों में निर्वाचन कराने का अधिदेश देता है । माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेशों को ध्यान में रखते हुए तथा राजनैतिक दलों के साथ परामर्श करने के उपरान्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के हित में, आयोग एतद्वारा यह निदेश देता है कि संसद या राज्य विधान मंडलों के किसी भी निर्वाचन के लिए निर्वाचन घोषणापत्र जारी करते समय राजनैतिक दल और अभ्यर्थी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुसरण करेंगे :-

(i) निर्वाचन घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो संविधान में दिए गए सिद्धांतों और आदर्शों के प्रतिकूल हो और इसके अलावा यह आदर्श आचार संहिता के अन्य प्रावधानों में निहित भावना के अनुरूप होगी ।

(ii) संविधान में अधिष्ठापित राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य को यह आदेश देते हैं कि राज्य नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याण संबंधी उपायों की रचना करे तथा इसलिए निर्वाचन घोषणापत्रों में ऐसे कल्याण संबंधी उपायों के वायदों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । तथापि, राजनैतिक दलों को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दूषित करें या मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डालें ।

(iii) पारदर्शिता, एक समान अवसर प्रदान करने तथा वायदों की विश्वसनीयता हेतु यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्रों में वायदों के मूलाधार पर भी विचार किया जाना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के साधनों का व्यापक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए । मतदाताओं का विश्वास ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हे पूरा करना संभव हो सके ।
